महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रॉक: /रा0त0नि0–कोविड–19/2020–21//12720 दिनॉक 26.05.2021

कार्यालय आदेश

समस्त– विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
जनपद –अम्बेडकरनगर।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोठ/2020–21/8885 दिनॉक 30 अप्रैल 2021 के द्वारा कोविड–19 महामारी संक्रमण के रोकथाम के अनुपालन मे जनपद के सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों मे धूम्रपान, पान–मशाला, सिगरेट, खैनी व अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। विदित हो कि धूम्रपान, मशाला, गुटखा और अन्य तम्बाकू उत्पाद हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचानें के साथ–साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करते है तथा बार–बार थूकने को प्रेरित करते है, जिससे कोविड–19 संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है।

पूर्व मे जिलाधिकारी कार्यालय अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या–8636/रा0त0नि0क0/2018–19/ दिनॉक 29.10.2018, पत्र संख्या–5635/रा0त0नि0क0/2018–19 दिनॉक 24.12.2018 तथा पत्र संख्या–5993/त0नि0प्र0–हु0बार प्रतिबन्ध/2020–21 दिनॉक 22.10.2020 के द्वारा जनपद के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों मे तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग के साथ–साथ समस्त बार रेस्टोरेन्ट व कैफे मे हुक्का सेवा पूर्णतय: प्रतिबन्धित किया जा चुका है

कोविड–19 संक्रमण को ध्यान मे रखते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीन प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों मे धूम्रपान, पान–मशाला एवं खैनी आदि सभी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के उपयोग अथवा पान–मशाला, गुटखा इत्यादि खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पूर्णरूपेण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर
तददिनांकित

पत्रॉक: /रा0त0नि0–कोविड–19/2020–21/

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 उ0 प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ।
3. उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. यू०पी० वी०एच०ए० लखनऊ।

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर